

27/10/20

वकील वादी अपा वकील वादी को प्रतिवर्षीय
की तगकी हेतु रजि० डाक ए.डी. तगकाण प्रेशा
करने हेतु दि० 11/2/20 को आदेशित किया गया लेकिन
वकील वादी ने तगकी हेतु तगकाण प्रेशा नहीं किया
फिर भी वकील वादी को दिनांक 20/10/20 को रजि० डाक
ए.डी तगकाण प्रेशा करने हेतु आदेशित में एक और
अन्तिम अवसर दिये जाने के उपरान्त भी वादी ने रजि० डाक
एडी तगकाण प्रेशा नहीं किया अतः प्राथमिकी अन्तर्गत
OGR05 CPL के तहत अदालत वकील (NON-compliance) में
स्वीकृत किया जाता है पूर्णवर्षी नम्बर से कट होकर मुक्त
काद के साथ संलग्न हो। सुनाया गया।

2018
294
पृष्ठ

12
सहायक कलक्टर
अलवर

